राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.21(2)वि.मा./2010 जयपुर, दिनांकः 7 जनवरी, 2016

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी/
वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, राजस्थान।

विषय :– विभागीय अधिकारियों के नाम से बैंक खाते के संबंध में।

महोदय

इस विभाग के पत्रांक प.21(2)विमा/2007 दिनांक 23.02.2007 एवं प.21(2)विमा/2010 दिनांक 07.07.2011 द्वारा विभागीय अधिकारियों के नाम से बैंक खातों के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के उपरान्त भी ध्यान में आया है कि कई विभागों में अधिकारियों के नाम से अभी भी बैंक खाते खुले हुए हैं। अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. विभागीय अधिकारियों के नाम से बैंक खाते नहीं खुलवाए जावें तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को तुरन्त बन्द कराया जावे।
2. वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता होने पर पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जावें व वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही बैंक खाते खोले जावें।
3. बैंक खातो का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से ही किया जावे।
4. विभाग में किसी एक योजना से संबंधित यदि राज्यवार एवं जिलेवार/ब्लाकवार खाते विद्यमान हो तो उन खातों को बन्द कर केवल एक राज्यस्तरीय खाता ही खोला जावे तथा बन्द कराये गए सभी खातों की राशि इस नवीन खाते में हस्तान्तरित की जावे।
5. बैंक खातों में पूर्व में संचालित और अब बन्द हो चुकी योजना की अवशेष राशि हो तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निर्देशों की पालना सख्ती से हो।

भवदीय

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अनुभाग, वित्त विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कोषाधिकारी एवं उप कोषाधिकारी, राजस्थान।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

PTO 2

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

कमांकः आ.कृ. / लेखा / पी.डी.खाता / 2016 / 11199-11359 दिनांकः 14.01.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान

2. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कृषि मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग के इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर डालने का श्रम करावें।

(घनश्याम शर्मा)
वित्तीय सलाहकार,कृषि